



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 293

25 ज्येष्ठ 1927 शकाब्द
राँची, बुधवार, 15 जून, 2005

वाणिज्य-कर विभाग ।

अधिसूचना

14 जून, 2005

एस०ओ०-57, दिनांक 15 जून, 2005-1522-- अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 (बिहार अधिनियम XXXVI, 1948) की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-70, दिनांक 17 जुलाई, 2004 में निम्नवत् संशोधन करते हैं :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की कंडिका-1 में प्रयुक्त वाक्यांश "15 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2005 तक" के स्थान पर "15 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2006 तक अथवा नई औद्योगिक नीति के अपनाये जाने तक (जो भी पहले हो)" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(बिक्री कर/उ/5/2001 खंड)
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
जे०के० दास,
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

झारखण्ड गजट (असाधारण), 293--300+500-शनि मुण्डा ।